उत्तर प्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

संख्या- 18/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022

लखनऊ:दिनांक: 10 मार्च, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना को लागू करने का शासनादेश संख्या-10/2023/016/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 01 फरवरी, 2023 द्वारा निर्गत कर दिया गया है एवं इस संबंध में शासनादेश संख्या-11/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 15.02.2023 द्वारा निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना हेतु अवस्थापना सुविधाओं के कार्यान्वयन संबंधी सामान्य मानकों हेतु दिशा-निर्देश भी निर्गत कर दिया गया है। एतद्द्वारा PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना हेतु दिशा-निर्देश/Standard Operating Procedure(SOP) कार्यान्वयन हेतु संलग्नक अनुसार निर्गत की जा रही है।

<u>संलग्नक-: Standard Operating Procedure (SOP)</u>

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6-समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अनमोल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>निजी क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा (Promoting Leadership and Enterprise for Development of Growth Engines) योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले एम0एस0एम0ई0 पार्कों के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश(एस0ओ0पी0)</u>

1. निजी क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रारूप पर अपना आवेदन संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र को करना होगा।

2. आवेदन के साथ प्रवर्तक द्वारा संबंधित जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र सहित परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) चार प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी। डी0पी0आर0 में अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त एम0एस0एम0ई0 पार्क से संबंधित भूमि के स्वामित्व संबंधी व अन्य विवरण जैसे किसी प्रकार के ऋण से मुक्त होने संबंधी विवरण आदि, प्रस्तावित पार्क का ले-आउट प्लान, संबंधित विकास प्राधिकरण/नगर निकाय/स्थानीय निकाय की महायोजना/नगर योजना में पार्क से संबंधित भूमि के भू-प्रयोग संबंधी विवरण, भूखण्ड की मुख्य मार्गों से कनेक्टीविटी व पावर लाइनों की उपलब्धता का विवरण आदि अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा।

3. प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 पार्क का विकास शासनादेश संख्या 10/2023/016/18-2-2023/18-2022/18/2022 दिनांक 01.02.2023 एवं शासनादेश संख्या 11/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 15.02.2023 की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 11/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 15 फरवरी, 2023 के माध्यम से जारी अवस्थापना सुविधाओं हेतु सामान्य मानक संबंधी दिशा-निर्देश के अनुरूप ही विकास की योजना तैयार की जाएगी एवं इसको डी0पी0आर0 में सम्मिलित किया जाएगा।

4. निवेशक का आवेदन व डी0पी0आर0 प्राप्त होने के 7 कार्यदिवसों में उपायुक्त उद्योग द्वारा निम्नानुसार गठित समिति के माध्यम से परियोजना का तकनीकी व वित्तीय परीक्षण कराया जाएगा। समिति द्वारा परियोजना स्थल की कनेक्टिविटी, पावर उपलब्धता, उद्योग स्थापना हेतु व्यवहार्यता आदि बिंदुओं पर सम्यक परीक्षण करते हुए परियोजना पर संस्तुति प्रदान की जाएगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा भूमि के धारा-80 के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन सहित नियमानुसार वांछित अन्य आवश्यक अनुमतियाँ आदि समयबद्ध रूप से प्रदान कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>जिला स्तरीय समिति:-</u>

1.	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
3.	संबंधित तहसील का उपजिलाधिकारी	-	सदस्य
4.	मुख्य कोषाधिकारी	-	सदस्य
5.	अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
6.	अधिशाषी अभियंता ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
7.	उपायुक्त उद्योग	-	सदस्य सचिव

5. जिला स्तरीय समिति द्वारा परिक्षणोपरांत अपनी संस्तुति आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (Pledge Cell) को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाएगी। संस्तुति पत्र के साथ दो प्रतियों में परियोजना की डी0पी0आर0 भी उपलब्ध करायी जाएगी।

6. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (Pledge Cell) द्वारा प्रदेश से प्राप्त समस्त प्रस्तावों का परीक्षण कर संकलित सूची संस्तुति सहित 7 कार्यदिवसों में शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। शासन स्तर पर निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय करते हुए निजी प्रर्वतकों के पक्ष में लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा।

<u>राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति:-</u>

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0 विभाग	-	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	-	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
6.	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0	-	सदस्य सचिव

7. लेटर आफ कंफर्ट जारी होने के उपरांत निजी प्रर्वतक द्वारा लेटर आफ कंफर्ट के साथ भूमि के प्रपत्रों की मूल प्रति संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत की जाएगी। उपायुक्त उद्योग द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की अनुसूची 1-ख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के अनुच्छेद 6-बी के अनुसार रू0 10,000/- के स्टाम्प पर इक्वीटेबिल मार्टगेज का प्रपत्र तैयार कराया जाएगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति उद्योग निदेशालय के प्लेज सेल को सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु दिये गये ऋण को सुरक्षित करने हेतु प्लेज योजना के अंतर्गत विकसित भू-खण्डों को औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में निष्पादित होने वाले पंजीयन विलेख में विकासकर्ता के साथ राज्य सरकार के प्रति निधि के रूप में संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा। मूलधन एवं ब्याज के साथ देय शासकीय धनराशि की एस्क्रो एकाउन्ट में वापसी सुनिश्चित करने के उपरान्त ही उपायुक्त उद्योग द्वारा पंजीकरण विलेख पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

8. निजी प्रर्वतक द्वारा रू0 1000 के स्टाम्प पर इस आशय का एक अण्डरटेकिंग जो निजी प्रर्वतक एवं उपायुक्त उद्योग द्वारा हस्ताक्षरित होगा, कि निजी प्रर्वतक द्वारा न्यूनतम प्रति एकड़ एक इकाई को भूखण्ड आवंटित किया जाएगा तथा कुल विकसित औद्यौगिक प्रयोजन की भूमि में से 75 प्रतिशत भूखण्ड एम0एस0एम0ई0 के लिए आरक्षित होगा। अण्डरटेकिंग में यह भी उल्लिखित किया जाएगा कि योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे पार्क के भूखण्डों का आवंटन, संचालन तथा मूलभूत सुविधाओं के रख-रखाव का पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा।

9. निजी प्रर्वतक द्वारा इन प्रपत्रों के साथ धनराशि का माँग पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। धनराशि जिला कलेक्टर की दरों पर भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत अथवा रू0 50.00 लाख प्रति एकड़ अथवा डी0पी0आर0 के अनुसार पार्क को विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि जो भी कम हो, की माँग की जाएगी।

10. संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा समस्त प्रपत्रों/डी0पी0आर0 के सत्यापन के उपरांत माँग की जा रही धनराशि को संस्तुत करते हुए धनराशि को परियोजना हेतु खाले गये एस्क्रो एकाउंट में अवमुक्त किए जाने हेतु अनुरोध पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा। यदि परियोजना हेतु निजी प्रर्वतक द्वारा ऋण लिया गया है तो, एस्क्रो एकाउंट उसी बैंक में खोलने की प्राथमिकता दी जाएगी।

11. परियोजना हेतु खोले गये एस्क्रो एकाउंट में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त कर दी जाएगी। निजी प्रर्वतक व ऋण प्रदाता बैंक यदि हो तो, स्टेक होल्डर के रूप में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस एकाउंट में अधिकृत किए जायेंगे एवं पार्कों के विकसित भूखण्डों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि स्टेक होल्डर्स की परियोजना में हिस्सेदारी के अनुपात में स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध करायी जाएगी।

12. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा परियोजना के विकास हेतु वांछित धनराशि इसी एस्क्रो एकाउंट में दो समान किश्तों में स्थानान्तरित की जाएगी। प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर, सी0ए0 द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करते हुए 05 कार्यदिवसों में द्वितीय किश्त की माँग उद्योग निदेशालय से की जाएगी। इस धनराशि का व्यय परियोजना के कार्यों हेतु ही किया जाएगा, जिसे सुनिश्चित करने हेतु इस खाते का वार्षिक आडिट सी0ए0 द्वारा किया जाएगा। यदि परियोजना विकास हेतु निजी प्रर्वतक द्वारा ऋण लिया गया है, तो वह ऋण की धनराशि भी इस एस्क्रो एकाउंट में रखी जाएगी। निजी प्रर्वतक द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर परियोजना विकसित की जाएगी। विकास के लागत की गणना अधिकतम रू0 50 लाख प्रति एकड़ होगी, जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जा सकेगा।

13. निजी प्रर्वतक द्वारा परियोजना विकसित करते समय शासनादेश संख्या 11/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 15 फरवरी, 2023 के माध्यम से जारी मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा समय-समय पर परियोजना का निरीक्षण करते हुए इस आशय की सत्यापन रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करायी जाएगी कि परियोजना का विकास मानक के अनुरूप हो रहा है।

14. परियोजना पूर्ण हो जाने के उपरांत उपायुक्त उद्योग द्वारा स्थलीय सत्यापन कर पूर्णता रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जाएगी।

15. विकसित परियोजना में भूखण्डों का विक्रय निजी प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। किसी भूखण्ड का विक्रय किए जाने पर उद्यमी द्वारा उक्त भूखण्ड/प्लाट के सापेक्ष संपूर्ण धनराशि को एस्क्रो एकाउंट में जमा करने के उपरांत उक्त भूखण्ड को क्रेता के पक्ष में बंधक मुक्त किए जाने हेतु विकासकर्ता द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग प्लेज सेल को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर एक सप्ताह के भीतर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा उक्त भूखण्ड को बंधक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुक्त कर दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में बंधक मुक्त करने का निर्णय नहीं होता है, तो 15 दिवस बाद संदर्भित भूखण्ड स्वतः बंधक मुक्त मान लिया जाएगा।

16. निजी प्रर्वतक द्वारा विकसित किए गये पार्क में भूखण्ड लेने वाले उद्यमियों को एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट के साथ-साथ अन्य प्रदत्त सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।

17. निजी प्रर्वतक को पार्क विकसित किए जाने हेतु भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट एवं एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुकूल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सहायता प्रवर्तक को प्रदान नहीं की जाएगी।

18. निजी प्रर्वतक को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर प्रथम तीन वर्षों तक 1 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा। चौथे वर्ष से दी गयी धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। दी गयी धनराशि पर देय ब्याज का आकलन कर उपायुक्त उद्योग द्वारा निदेशालय को सूचित किया जाएगा।

19. निजी प्रर्वतक को दी गयी धनराशि वापस करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। प्रर्वतक यदि चाहे तो समय से पूर्व भी पूरा शासकीय ऋण वापस कर सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में निजी प्रर्वतक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी भूमि राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो जाएगी, जिसका राजस्व नियमों के अंतर्गत विक्रय कर राज्य सरकार द्वारा बकाया वसूल किया जाएगा। छह वर्ष के पश्चात् ऋण की धनराशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। उपायुक्त उद्योग यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी प्रर्वतक द्वारा नियमानुसार भूखण्डों को बेचकर निर्धारित समय में शासकीय धनराशि वापस की जाएगी।

20. परियोजना की क्रमिक प्रगति, भूखण्डों का आवंटन/विक्रय, शासकीय ऋण की वापसी आदि के संबंध में संबंधित उपायुक्त उद्योग द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष पूर्ण स्थिति रखते हुए यथा-आवश्यक निर्णय प्राप्त कर कार्यवाही करायी जाएगी। परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण भी समिति के माध्यम से कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्लेज (Promoting Leadership and Enterprise for Development of Growth Engines) योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले एम0एस0एम0ई0 पार्क हेतु संस्तुति पत्र

प्लेज योजना **(**Promoting Leadership and Enterprise for Development of Growth Engines**)** के अंतर्गत ..... एकड़ क्षेत्रफल में एम0एस0एम0ई0 पार्क विकसित किए जाने हेतु श्री/श्रीमती/मे0 ..... पता ..... जिला ..... मो0नं0 ..... ई-मेल ..... के आवेदन पर जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक ..... में सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति योग्य पाया गया है।

उक्त के दृष्टिगत श्री/श्रीमती/मे0 ..... के पक्ष में एम0एस0एम0ई0 पार्क की स्थापना हेतु वांछित धनराशि रू0 ..... (लाख में) की स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

दिनांक:

नाम/हस्ताक्षर
संबंधित उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, प्लेज सेल, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को डी0पी0आर0 की दो प्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।
2. संबंधित जिलाधिकारी।
3. संबंधित अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, ... मण्डल।
4. श्री/श्रीमती/मे0 ..... को सूचनार्थ।

नाम/हस्ताक्षर
संबंधित उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>प्लेज योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले एम0एस0एम0ई0 पार्क हेतु निजी प्रर्वतक द्वारा रू0 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाले अण्डरटेकिंग का प्रारूप</u>

<u>अण्डरटेकिंग</u>

समक्ष
संबंधित उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र,
.....(जनपद का नाम)

प्लेज योजना के अंतर्गत ..... एकड़ क्षेत्रफल में एम0एस0एम0ई0 पार्क विकसित किए जाने हेतु श्री/श्रीमती/मे0 ..... पता ..... जिला ..... मो0नं0 ..... ई-मेल ..... के आवेदन पर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदनोपरांत पत्रांक ..... दिनांक ..... के माध्यम से सहमति (एल0ओ0सी0) प्रदान की गयी है। उक्त एल0ओ0सी0 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मैं/हमारे द्वारा निम्न शर्तों के अनुसार एम0एस0एम0ई0 पार्क की स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की जाती है कि:-

1. यह कि मैं/हमारे द्वारा शासनादेश संख्या 10/2023/016/18-2-2023/18-2022/18/2022 दिनांक 01.02.2023 एवं शासनादेश संख्या संख्या 11/2023/016/18-2-2023/18-2022/18/2022 दिनांक 15.02.2023 की व्यवस्था के अनुरूप योजना के समस्त बिंदुओं/दिशा-निर्देशों को भली भाँति पढ़ा एवं समझा गया है एवं इन शासनादेशों व समय- समय पर इस संबंध में शासन द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुरूप ही परियोजना विकसित की जाएगी।
2. हमारे द्वारा विकसित किए जा रहे एम0एस0एम0ई0 पार्क में न्यूनतम प्रति एकड़ एक इकाई को भूखण्ड आवंटित किया जाएगा।
3. विकसित किए जा रहे एम0एस0एम0ई0 पार्क में कुल विकसित औद्यौगिक प्रयोजन की भूमि का 75 प्रतिशत, एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की इकाईयों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
4. एम0एस0एम0ई0 पार्क में विकसित भूखण्डों के आवंटन, रख-रखाव, संचालन तथा इकाईयों को उपलब्ध होने वाली मूलभूत सुविधाओं इत्यादि का पूर्ण उत्तरदायित्व निजी प्रर्वतक अर्थात् हमारा होगा।
5. विकसित किए जा रहे पार्क हेतु प्राप्त शासकीय धनराशि को ससमय ब्याज सहित वापस किया जाएगा।
6. इस योजना के अंतर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग का निर्णय मान्य होगा।

अतः उक्त प्रावधिानों के अधीन हम प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 पार्क की परियोजना की स्थापना हेतु सहमत हैं। उक्त सूचना हमारी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य, सही एवं पूर्ण है इसमें काई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि किसी स्तर पर हमारे द्वारा प्रस्तुत सूचना संदेहास्पद पायी जाती है, तो हमारा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किये जाने का निर्णय आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, प्लेज सेल का होगा।
दिनांक:

नाम/हस्ताक्षर
संबंधित निजी प्रर्वतक/अधिकृत व्यक्ति
इकाई का नाम/पता/Mobile
नाम/हस्ताक्षर
संबंधित उपायुक्त उद्योग/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र

.....
प्रतिहस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>प्लेज योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले एम्0 एस0 एम्0 ई0 पार्क हेतु प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र</u>

<u>आवेदन पत्र</u>

जिले का नाम : _ _ _ _ _ वित्तीय वर्ष _ _ _ _ _ _ परियोजना की लागत (रु0 लाख) _ _ _ _ _

क्र0 सं0	**निवेशक / परियोजना का विवरण**	
क	**कंपनी / साझेदारी / एस0 पी0 वी0 / निवेशक का विवरण**	
1	कंपनी / साझेदारी / एस पी वी / निवेशक का नाम	
2	कंपनी / साझेदारी / एस पी वी / निवेशक का पता	
3	कंपनी / साझेदारी / एस पी वी / निवेशक का दूरभाष / ईमेल	
4	अन्य विवरण यदि कोई हो	
ख	**परियोजना का विवरण**	
1	परियोजना का नाम	
2	परियोजना स्थल का पूर्ण पता	
3	परियोजना से आच्छादित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	
4	कुल परियोजना लागत (सी0 ए0 द्वारा प्रमाणित)	
5	वांछित शासकीय ऋण (रू0 लाख में) अधिकतम रू0 50.00 लाख प्रति एकड़ की दर से	
6	लागत का मदवार विवरण	
6.1	बाउंड्री वाल आदि का निर्माण	
6.2	भूखंड का निर्माण	
6.3	रोड / नाली का निर्माण	
6.4	पार्किंग (भारी वाहन / हल्के वाहन)	
6.5	विद्युत व्यवस्था (आतंरिक / बाहय / सब स्टेशन)	
6.6	हॉस्टल / डॉर्मेट्री निर्माण	
6.7	इ0 टी0 पी0 / सी0 टी0 पी0	
6.8	जल व्यवस्था/ जल निकासी	
6.9	रेन वाटर हार्वेस्टिंग	
6.10	हरित पट्टिका/पार्क	
6.11	अन्य मदों में व्यय	
7	अन्य विवरण यदि कोई हो	

<u>संलग्नकः</u> 01) परियोजना की डी0पी0आर0
02) एग्रीमेंट

Signature of Applicant
(आवेदक के हस्ताक्षर)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एम0एस0एम0ई0 पार्क की प्रगति के संबंध में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

जिले का नाम : _ _ _ _ _ **वित्तीय वर्ष** _ _ _ _ _ _ **परियोजना की लागत (रु0 लाख)** _ _ _ _ _

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>परियोजना के घटक</th><th>आख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>परियोजना का नाम (एम एस एम ई पार्क)</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>परियोजना स्थल का पूर्ण पता</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>परियोजना स्वामी / साझेदार / निदेशक का नाम व पता, दूरभाष मेल संक्षिप्त</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>निरीक्षण की तिथि को परियोजना की भौतिक स्थिति</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">एम0 एस0 एम0 ई0 पार्क</th></tr>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>भूमि विकास</th><th>पूर्णता / प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बाउंड्री वाल आदि का निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>भूखंड का निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>रोड / नाली का निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पार्किंग (भारी वाहन / हल्के वाहन) -</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>विद्युत व्यवस्था (आतंरिक / बाहय / सब स्टेशन) -</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>हॉस्टल / डॉर्मेट्री निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>इ0 टी0 पी0 / सी0 इ0 टी0 पी0 -</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>जल व्यवस्था/ जल निकासी व्यवस्था -</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>रेन वाटर हार्वेस्टिंग -</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>हरित पट्टिका/पार्क</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>आबंटी इकाइयों दवारा प्रारंभ किया गया -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.1</td><td>भूमि विकास -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>भवन निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.3</td><td>विद्युत संयोजन -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.4</td><td>अन्य -</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>अन्य निर्माण -</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>विगत निरीक्षण एवं आज के निरीक्षण में हुयी क्रमिक प्रगति</td><td>
<table>
<tr><th>अ</th><th>विगत निरीक्षण के समय मदवार प्रगति</th><th>आज के निरीक्षण में पायी गयी मदवार प्रगति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>उपायुक्त उद्योग की संस्तुति</td><td></td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	परियोजना के घटक	आख्या
7	अभ्युक्ति (क्रमिक प्रगति का आकलन तकनीकी संस्था / चार्टर्ड इंजीनियर के माध्यम से कराया जाएगा)	

नाम एवं हस्ताक्षर
(उपायुक्त आयोग)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एम0एस0एम0ई0 पार्क की प्रगति के संबंध में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

जिले का नाम : _ _ _ _ _ **वित्तीय वर्ष** _ _ _ _ _ _ **परियोजना की लागत (रु0 लाख)** _ _ _ _ _

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>परियोजना के घटक</th><th>आख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>परियोजना का नाम (एम एस एम ई पार्क/ फ्लैटेड फैक्ट्री/ औ० आ०)</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>परियोजना स्थल का पूर्ण पता</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>परियोजना स्वामी / साझेदार / निदेशक का नाम व पता, दूरभाष मेल संक्षिप्त</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>निरीक्षण की तिथि को परियोजना की भौतिक स्थिति</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">एम0 एस0 एम0 ई0 पार्क</th></tr>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>भूमि विकास</th><th>पूर्णता / प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>13.</td><td>बाउंड्री वाल आदि का निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>भूखंड का निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>रोड / नाली का निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पार्किंग (भारी वाहन / हल्के वाहन) -</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>विद्युत व्यवस्था (आतंरिक / बाहय / सब स्टेशन) -</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>हॉस्टल / डॉर्मेट्री निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>इ0 टी0 पी0 / सी0 इ0 टी0 पी0 -</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>जल व्यवस्था/ जल निकासी व्यवस्था -</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>रेन वाटर हार्वेस्टिंग -</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>हरित पट्टिका/पार्क</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>आबंटी इकाइयों दवारा प्रारंभ किया गया -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.1</td><td>भूमि विकास -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>भवन निर्माण -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.3</td><td>विद्युत संयोजन -</td><td></td></tr>
<tr><td>11.4</td><td>अन्य -</td><td></td></tr>
<tr><td>24.</td><td>अन्य निर्माण -</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>विगत निरीक्षण एवं आज के निरीक्षण में हुयी कार्मिक प्रगति</td><td>
<table>
<tr><th>अ</th><th>विगत निरीक्षण के समय मदवार प्रगति</th><th>आज के निरीक्षण में पायी गयी मदवार प्रगति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ब्याज उपादान हेतु संस्तुति</td><td></td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	परियोजना के घटक	आख्या
7	अभ्युक्ति (क्रमिक प्रगति का आकलन तकनीकी संस्था / चार्टर्ड इंजीनियर के माध्यम से कराया जाएगा)	

नाम एवं हस्ताक्षर
(उपायुक्त आयोग)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।